न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

ीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
ार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः- 251 क(1) आर.टी.ए.
करण संख्याः 161/2025

1 जोगेन्द्र सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका, तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2 हरगोविन्द उर्फ बलविन्द्र सिंह पुत्र भूरा सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका, तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

-:प्रार्थीगण

बनाम्

1 सुखदेव सिंह पुत्र श्री गेन्दा सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका, तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2 तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

-: अप्रार्थीगण

3 हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका, तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

-:तरतीबी अप्रार्थी

पस्थित :-
1. श्री गुरमेल सिंह - अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार - अप्रार्थी सं. 2

-::निर्णय::-

दिनांक 11.11.2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री गुरमेल सिंह द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) ार.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 के ाम संयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ के चक 22 एम.एम.के. के खाता ख्या 110/42 के पत्थर नम्बर 95/202 (55) के किला नम्बर 6, 7/2/0.127, 13 इस कार की कुल 0.633 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबंदी की तिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह है कि अप्रार्थी की कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ के चक 22 एम.एम.के. के खाता ख्या 103/59 के पत्थर नम्बर 93/194 (19) के किला नम्बर 7 ता 10, 12 ता 14 व त्थर नम्बर 95/202 (55) के किला नम्बर 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.228, 5/2/0.025 इस प्रकार कुल 2. 83 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह है कि प्रार्थी सख्या 2 का नाम वर्तमान जमाबन्दी में हरगोविन्द सिंह व बलविन्द्र सिंह दर्ज है। प्रार्थी संख्या 2 को उक्त दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता है, जिसकी माबन्दी की प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि ार्थीगण व अप्रार्थी सख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मिन प्रार्थीगण को अपनी कृषि मि में आने जाने हेतु उक्त खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सख्या 3 के नाम संयुक्त खाता

की कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ के चक 22 एम.एम.के. के खाता सख्या 110/42 के पत्थर नम्बर 95/202 (55) के किला नम्बर 6, 7/2/.127 हैक्टेयर, 13 इस प्रकार कुल .533 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहता है, मौका पर रास्ता चालू है, जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण करते आ रहे है।

यह है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग अपनी कृषि भूमि में आने जाने के साथ साथ कृषि भूमि में कृषि यंत्र लाने ले जाने भूमि की बिजाई व कटाई हेतु कृषि यंत्र लाने ले जाने व कृषि जिन्स को इकट्ठा करने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी सख्या 1 के नाम वर्णित प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि रास्ते के बदले माननीय न्यायालय का जो भी आदेश हो की पालना में चक 22 एमएमके पत्थर नम्बर 95/202 (55) के किला नम्बर 5 में 13.56 फुट चौडा अर्थात 0.020 हैक्टेयर उतर से दक्षिण किला नम्बर 5 की पूर्वी सींव पत्थर लाईन 95 के साथ चल रहे रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहते है तथा इसी अनुसार उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णितानुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे।

यह है कि प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय /-रुपये न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि चक 22 एम.एम.के. पत्थर नम्बर 95/202 (55) के किला नम्बर 5 में 13.56 फुट चौडा अर्थात 0.020 हैक्टेयर उतर दक्षिण किला नम्बर 5 की पूर्वी सीव पत्थर लाईन 95 के साथ चल रहे रास्ता दर्ज रिकार्ड करवाये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह हाजिर व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 1 में दर्ज तथ्य स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज तथ्य रिकार्डेड है।

यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 3 में दर्ज तथ्य रिकार्डेड है तथा प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है कि हरगोविन्द सिंह व बलविन्द्र सिंह दोनो एक ही व्यक्ति हो, अगर दोनो एक ही व्यक्ति है तो जमाबन्दी में शुद्धि करवाने उपरान्त ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना, उसके बिना प्रार्थना पत्र कानुनन पोषणीय नही है।

यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 4 में दर्ज तथ्य मिथ्या, असत्य व मनगढत होने के कारण होने के कारण अस्वीकार है। मुझ अप्रार्थी सख्या 1 की आराजी में से कोई रास्ता मौके पर चालू नही है। किला नम्बर 5 में उतरी सीव के साथ पक्का खाला बना हुआ है तथा खाले पर आवागमन हेतु कोई पुली भी नही बनी हुई है इसलिए किला नम्बर 5 से प्रार्थीगण के आवागमन करने के तथ्य स्वतः ही झूठे साबित होते है। प्रार्थीगण नहर के पटडे पत्थर नम्बर 95/202 (55) के किला नम्बर 14, 17, 24 में से अपनी आराजी में आवागमन करते आ रहे है। रास्ते उपलब्ध होते हुए सुविधा के लिए दूसरा रास्ता स्वीकृत नही करवाया जा सकता। प्रार्थीगण की आराजी में किला नम्बर 5 में उतरी सीव के साथ पक्का खाला बना हुआ है तथा पक्का खाला प्रार्थीगण की आराजी से 5-6 फुट ऊंचा है, अगर मुझ अप्रार्थी की आराजी में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो 5-6 फुट ऊंचे खाले से गुजरना

असम्भव है तथा प्रार्थीगण आये दिन मुझ अप्रार्थी की फसल को नुकसान पहुचायेगे व वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 5 में दर्ज तथ्य कानूनी है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रार्थीगण को मुझ अप्रार्थी के विरूद्व कोई वाद कारण हासिल नही है इसलिए बेना वाद कारण के प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण चलने योग्य नही है तथा काबिल खारिजी है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन हेतु चक नम्बर 22 एमएमके, खाता संख्या 73/42 का रक्बा पत्थर नम्बर 95/202 (55) के किला नम्बर 14, 17, 24 में से रास्ता उपलब्ध है तथा इसी रास्ते का उपयोग करते हुए प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागमन करते आ रहे है तथा एक रास्ते के होते हुए मात्र सुविधा के लिए दूसरा रास्ता कानुनन स्वीकृत नही किया जा सकता। खाता सख्या 73/42 के खातेदार काश्तकार गगनदीप सिंह पुत्र मेजर सिंह व मेजर सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2025 पर रास्ता उपलब्ध होने की ताईद बाबत अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर है, इन तथ्यों से यह बखूबी साबित होता है कि प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है, जिस बाबत तहसीलदार (राजस्व) की रिपोर्ट में भी अंकन है तथा वर्तमान में जो रास्ता उपयोग में प्रार्थीगण ले रहे है, कानुनन वही रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है, इसी कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिजी है।

यह है कि तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 हरजिन्द्र सिंह पुत्र सन्ता सिंह जो प्रार्थीगण जोगेन्द्र सिंह व हरगोविन्द सिंह उर्फ बलविन्द्र सिंह के साथ सह खातेदार है तथा जिस भूमि के लिए रास्ते हेतु आवेदन किया गया है, उस भूमि का सह खातेदार हरजिन्द्र सिंह पुत्र सन्ता सिंह है। अप्रार्थी संख्या 3 हरजिन्द्र सिंह पुत्र सन्ता सिंह की भूमि चक नम्बर 22 एमएमके के खाता संख्या 33/76 के पत्थर नम्बर 95/202 (55) किला नम्बर 18 से 22 है तथा इस भूमि से रास्ता किला नम्बर 21, 22 में लगता है व पत्थर नम्बर 95/202 (55) का किला नम्बर 13 भी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सख्या 3 का है इस प्रकार पत्थर नम्बर 95/202 (55) किला नम्बर 6, 7 (जिस भूमि के लिए रास्ता याचित किया गया है) किला नम्बर 13 से मात्र 80 फुट दूरी पर है तथा धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निकटतम सम्भव रास्ता ही स्वीकृत किया जा सकता है, इस प्रकार निकटतम रास्ता पत्थर नम्बर 95/202 (55) के किला नम्बर 7 से बनता है जिसके तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिजी है।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्रो की आराजी चक 22 एम.एम.के. के खाता सख्या 34 के पत्थर नम्बर 95/202 किला नम्बर 2 ता 5 तथा अप्रार्थी सख्या 1 के पुत्रो के नाम आराजी पत्थर नम्बर 96/202 मुरब्बा नम्बर 54 किला नम्बर 1 से 4, 7 से 10 है तथा उक्त 12 बीघा आराजी एक साथ है तथा अप्रार्थी एंव उसके पुत्रो का संयुक्त परिवार है। प्रार्थीगण द्वारा याचित रास्ता से मुझ अप्रार्थी की आराजी के दो टुकडे हो जायेगे। कानुनन ऐसा रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता जिससे काश्तकार की आराजी टुकडो में विभक्त हो जाये।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव के तथ्य को सिद्व किया जाना आवश्यक है परन्तु तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसरण में प्रार्थीगण की आराजी को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरुद्व बखूबी साबित होता है तथा निकटतम सम्भव रास्ते बाबत भी प्रार्थीगण द्वारा याचित रास्ते से आधी दूरी का रास्ता जो मात्र 80 फुट है, पत्थर नम्बर 95/202 (55) किला नम्बर 7 में दक्षिणी ओर स्वीकृत किया जा सकता है, इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिजी है तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान ाश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा ह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता ाप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के ावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी धिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान ाश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।

2 वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

3 नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा षित पत्रांक राजस्व/258 दिनांक 14.08.2025 मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसमें अंकन किया या है कि चक 22 एमएमके प.न. 95/202 मु.न. 55 कि.न. 5 में मौके पर कोई रास्ता ालू नहीं है। प.न. 95/202 मु.न. 55 कि.न. 1 ता 5 में गै.मु. खाला दर्ज रिकार्ड है। जिस र मौके पर किसी प्रकार की कोई पुलिया नहीं बनी हुई है। मुताबिक पुछताछ मौके पर ार्थीगण नहर के पटडे प.न. 95/202 मु.न. 55 कि.न. 24, 25 में से होकर अपनी जोत ें आवागमन करते है। वांछित रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि मुताबिक रिपोर्ट याचित रास्ता मौके पर चालू नही है। अधिवक्ता अप्रार्थी का थन है कि प्रार्थीगण द्वारा याचित रास्ता स्वीकृत होने से अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी सख्या 2 के पुत्रो की पत्थर नम्बर 96/202 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10 आराजी दो टुकडो में विभक्त हो जायेगी तथा प्रार्थीगण पत्थर नम्बर 95/202 मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 24 में से होते हुए अपनी आराजी में आवागमन करने के तथ्य रिपोर्ट में दर्ज है तथा पत्थर म्बर 95/202 मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 14, 17, 24 के खातेदार काश्तकार गनदीप सिंह पुत्र मेजर सिंह व मेजर सिह पुत्र जोगेन्द्र सिंह द्वारा भी उनकी भूमि मे से ार्थीगण जोगेन्द्र सिंह व हरगोविन्द सिंह उर्फ बलविन्द्र सिंह तथा तरतीबी अप्रार्थी हरजिन्द्र सिंह द्वारा आवागमन के तथ्यों की ताईद में मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये है।

धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अगर आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता न हो तथा रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता होगी, तभी विधि अनुसार नया रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। पत्थर नम्बर 95/202 मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 14, 17, 24 के खातेदार काश्तकारान गगनदीप सिंह पुत्र मेजर सिह व मेजर सिह पुत्र जोगेन्द्र सिंह द्वारा मौका रिपोर्ट पर किये गये हस्ताक्षर से इस बात की ताईद होती है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सख्या 3 को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है तथा एक रास्ते के होते हुए मात्र सुविधाजनक रास्ते के लिए दूसरा रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता तथा अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा प्रस्तुत की गई जमाबन्दीयां, नक्शा, जवाब प्रार्थना पत्र में किये गये कथनो से यह भलीभांति साबित हो रहा है कि पत्थर नम्बर 95/202 मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 18, 19, 20, 21, 22 जो खाता सख्या 33/76 में दर्ज है, में अप्रार्थी संख्या 3 सह खातेदार है तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाता सख्या 110/42, पत्थर नम्बर 95/202 मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 6, 7/.127, 13 आराजी आपस

चिपती हुई है, इन दोनो आराजी के मध्य पत्थर नम्बर 95/202 मुरब्बा नम्बर 55 के ला नम्बर 7 में दक्षिणी ओर 82.5 फुट रास्ता स्वीकृत कर अप्रार्थी संख्या 3 जो प्रार्थीगण साथ सह खातेदार है, की आराजी को रास्ता उपलब्ध हो सकता है तथा इसी अनुसार इस स्ते का उपयोग व उपभोग कर सकते है तथा इस रास्ते को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 3 जो सह खातेदार है, खाता विभाजन करवा सकते है।

न्यायिक दृष्टांत 2022-23 (Supp.) आरआरटी 282 में प्रतिपादित है कि No way ın be given from the middle of the land. न्यायिक दृष्टांत 2014 (1) आरआरटी 40 ाननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि U/s 251-A New way can be 'eated only when no alternative way is available. न्यायिक दृष्टांत 2016 (1) आरआरटी 49 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने प्रतिपादित किया है कि Alternative 'ay was available- Petitioner can not claim direct route in place of existing way. उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया जो हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः स्पा होते है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए और तत्सम्बन्धी नियमों में दो बाते पष्ट है कि रास्ता स्वीकृति बाबत अत्यांतिक आवश्यकता (**absolute necessity**) होनी चाहिए, । कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये, और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के करण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिये। धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी धिनियम के तहत दोनो आवश्यक बिन्दू आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव तथा रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता को सिद्ध करने में प्रार्थीगण विफल रहे है। राजस्थान काश्तकारी धिनियम 1955 की धारा-251(I) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नेयम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है:-

-:क्रिन्याविति आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। प्रार्थी, खातेदार गगनदीप सिंह व मेजर सिंह जिनकी आराजी खाता संख्या 73/42 में है, में से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ